भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3397
दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को उत्तर के लिए

आई.सी.डी.एस योजना के लिए कार्यबल

3397. श्री कुमार हेम्ब्रमः

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही समेकित बाल विकास योजना और महिला सशक्तीकरण योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन के लिए कोई कार्यबल गठित किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) इस कार्य हेतु वर्तमान वर्ष के बजट में सरकार द्वारा जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : पश्चिम बंगाल में कुल 576 परियोजनाएं और 119481 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से सभी कार्यशील हैं और 87.68 लाख लाभार्थियों की आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। आंगनवाड़ी सेवा के तहत लक्षित लाभार्थियों अर्थात 6 साल से कम आयु के सभी बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं को पूरक पोषण; स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा; पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा; टीकाकरण; स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं से युक्त 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। इन 6 सेवाओं में से 3 सेवाएं अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

जहां तक महिला सशक्तीकरण से संबंधित स्कीमों का संबंध है, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्रीय प्रयोजित स्कीम के रूप में नवम्बर, 2017 में महिला शक्ति केंद्र (एमएसके) स्कीम मंजूर की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य महिलाओं के लिए आश्यित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रक अभिसरण को सुगम बनाना है। पूर्वोत्तर तथा विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर, जहां वित्त पोषण का अनुपात 90:10 है, केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के लागत हिस्सेदारी अनुपात के साथ राज्य सरकारों (पश्चिम बंगाल सहित) और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।

(ख) उक्त स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने कोई कार्यबल गठित नहीं किया है। तथापि, आंगनवाड़ी सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं। इनमें पूरक पोषण के लागत संबंधी मानदंडों में संशोधन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का प्रावधान स्वच्छ कार्रवाई योजना (एसएपी) के तहत आंगनवाड़ी

केंद्रों में पेयजल और स्वच्छता की सुविधाओं का प्रावधान आदि शामिल हैं। समीक्षा और सुधार के लिए राज्य सरकारों के साथ निरंतर बातचीत की जाती है जिसमें सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हाल में हुई बातचीत शामिल हैं। इसके अलावा, गुणवत्ता आश्वासन, ड्यूटी धारकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां, प्रापण की प्रक्रिया, आयुष की संकल्पनाओं का एकीकरण तथा पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए पोषण ट्रैकर के माध्यम से डेटा प्रबंधन एवं निगरानी जैसे अनेक पहलुओं को शामिल करते हुए 13.01.2021 को सुगठित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेवा/एमएसके स्कीम के कार्यान्वयन की समीक्षा/निगरानी के लिए नियमित वीडियों कांफ्रेंस और बैठकों का आयोजन करता है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

*****